

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीएन विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096.



Government of India
Ministry of Commerce & Industry,
Office of the Development Commissioner,
SEEPZ-Special Economic Zone,
Andheri (E), Mumbai - 400096.

वेबसाइट : www.seepz.gov.in, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in, टेलीफोन : 022-28290856/28294700

फाइल सं. LGL-11/57/2023-LGL/10903

दिनांक: 05.09.2024

परिपत्र क्रमांक 26 दिनांक 05/09.2024
Circular No. 26 Dated 05 /09/2024

विषय: रु. 1/- प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष के कम जुर्माने का लाभ उठाने के लिए उप-पट्टा विलेख निष्पादित करने के लिए 30.09.2024 तक समय विस्तार देने का अनुरोध।

Sub: Request for granting extension of time till 30.09.2024 for executing sub-lease deed for availing reduced penalty of Rs.1/- per sq.mtr. per annum.

रु. 1/- प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष के कम जुर्माने का लाभ उठाने के लिए उप-पट्टा विलेख निष्पादित करने के लिए 30.09.2024 तक समय विस्तार देने का प्रस्ताव, 20.08.2024 को आयोजित 69वीं प्राधिकरण बैठक के समक्ष रखा गया था

प्राधिकरण ने उप-पट्टा करार के निष्पादन के लिए 30.09.2024 तक की अवधि के विस्तार को मंजूरी दे दी।

आगे यह निर्णय लिया गया कि 30.09.2024 के बाद किसी भी उप-पट्टा करार पर निर्णय लिया जाएगा, उस पर रु. 100/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

सभी यूनिट धारकों/सार्वजनिक उपयोगिताओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त छूट का लाभ उठाने के लिए 30.09.2024 को या उससे पहले उप-पट्टा

The proposal for granting extension of time till 30.09.2024 for executing sub-lease deed for availing reduced penalty of Rs.1/- per sq.mtr. per annum was placed before 69th Authority Meeting held on 20.08.2024

The Authority approved the extension for the period upto 30.09.2024 for execution of sub-lease agreements.

It was further decided that any sub-lease agreement being adjudicated beyond 30.09.2024 will be levied a penalty @ Rs. 100/- per sq.mtr. per annum.

All the unit holders/public utilities are requested to execute the sub-lease agreement on or before 30.09.2024 for availing the

करार निष्पादित करें।

aforesaid exemption.

(प्रसाद वरवंटकर)

Signed by Prasad
Hanumantrao Vankar
Date: 05-09-2024 16:58:31

उपविकास आयुक्त,

SEEPZ-SEZ Authority

प्रति,

1. सभी यूनिट धारक, सीपज़-सेज़
2. SEEMA, सीपज़-सेज़
3. SG&JMA, सीपज़-सेज़
4. केयरटेकर, सीपज़-सेज़
5. CA प्राधिकरण, सीपज़-सेज़